न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रार्थना पत्र संख्या–59 / 2020
प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक–31.07.2020
निर्णय दिनांक–10.08.2022

हीरा पुत्र गणेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (मृत्तक)

1. छोटा देवी पत्नि स्व. हीरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. रामनारायण दत्तक पुत्र स्व. हीरा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोनू पुत्र रमेशचन्द अग्रवाल जाति महाजन निवासी झिलाय रोड निवाई जिला टोंक (राज0)
2. गोविन्दी पुत्री बजरंगा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डांगरथल तह0 निवाई जिला टोंक (राज0)
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कैलाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. रेखा पत्नि भूदेवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. उपपंजीयक पीपलू
6. तहसीलदार पीपलू
7. मुकेश पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री विवेक चौधरी
अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 01 –श्री गिरधर सिंह तंवर व श्री कजोड़ गुर्जर
श्री जे.के. जैन, श्री शंकरलाल चौधरी व श्री प्रयूष जैन
अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 02–श्री राजाराम चौधरी
अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 03 व 04–श्री कैलाश चौधरी
अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 07–श्री नन्दकिशोर शर्मा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 56 कुल किता 29 रकबा 54–03 बीघा व खाता संख्या 349 कुल किता 26 रकबा 43–19 बीघा में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना में वर्णित भूमि से संबंधित एक नियमित वाद बाबत् तकास्मा इस न्यायालय में विचाराधीन होने से दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया बिना एक पक्षीय स्थगन आदेश दिया जाना इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2020 द्वारा उचित नही माना गया। उक्त आदेश के विरूद्ध की गई अपील में राजस्व अपील

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 10.08.2020 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 2807/2020 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2020 द्वारा इस न्यायालय को उभय पक्षकारान् को सुनकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का यथासंभव एक माह में निस्तारण हेतु निर्देशित करते हुए उभय पक्षकारान् को विवादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादग्रस्त आराजीयात को बेचान नही करने हेतु पाबंद किया गया। माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु समस्त पक्षकारों की विधिवत् सुनवाई की गई तथा प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण हेतु बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा भूमि आराजी ख0न0 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 485, 595, 596, 597, 607, 699, 700, 707, 708, 835, 836, 893, 980, 982 कुल किता 29 कुल रकबा 54–03 बीघा व ख0न0 251, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 583, 584, 585, 586, 587, 603, 604, 605, 701, 706, 782, 837, 892, 984, 1026 कुल किता 26 कुल रकबा 43–19 बीघा वाके ग्राम जयकिशनपुरा तह0 पीपलू को लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद प्रकरण संख्या 105/2018 उनवानी सोनू बनाम हीरा वगै0 बाबत् तकास्मा प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया है, जो विचाराधीन है। वाद के साथ वादी सोनू ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया था। जिसको हाल दिनांक 01.07.2020 को वादी सोनू द्वारा विड्रो कर लिया हैं और उक्त वर्णित आराजीयात में से ख0न0 251, 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262 वाके ग्राम जयकिशनपुरा में से 1/2 हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को कर दिया है। जिसकी वजह से यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। गोविन्दी पुत्री बजरंगा जाति ब्राह्मण ने उक्त वर्णित आराजीयात में से 1/2 हिस्सा गलत रूप से जरिये विरासत प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था और अपने हक में हुए गलत इन्द्राज के आधार पर ही प्रार्थी/प्रतिवादी को उसके हक हिस्से की आराजीयात से वंचित करने के लिए एक नुमाईशी विक्रय पत्र वादी सोनू के हकह में निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया। तब वादग्रस्त आराजीयात को लेकर प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपने हक अधिकारो की घोषणा हेतु एक वाद प्रकरण संख्या (143/14) 13/17 उनवानी हीरा बनाम गोविन्दी पेश किया जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। क्रेता सोनू ने दौराने वाद अपने 1/2 हिस्से के अंकन के आधार पर तकास्में का दावा पेश किया हैं तथा दौराने वाद ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा 67/2018 दिनांक 01.07.2020 को विड्रो कर उक्त वर्णित आराजीयात मे से खसरा नम्बर 251, 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262 में से अपने नाम दर्ज 1/2 हिस्से का विक्रय अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के हक मे निष्पादित कर दिया, जो पूर्णतः अवैध व शून्य है। दौराने वाद किया गया बैचान नल एण्ड वोईड है। वादग्रस्त आराजीयात में गोविन्दी की पुत्री बजरंगा का किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही था। क्योंकि गोविन्दी के पिता नाबालिग अवस्था में ही अपने बड़े पिता रामनाथ के गोद चले गये थे। बजरंगा ने रामनाथ की विरासत प्राप्त कर ली थी। जिसकी वजह से उक्त वर्णित आराजीयात से बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का कोई संबंध सरोकार नहीं था। वादी सोनू अपने हक में हुए इन्द्राज के आधार पर शेष बची हुई

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

आराजीयात को भी बेचान करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी/प्रतिवादी को पैसा लेकर कब्जा छोड़ने के लिए कई बार निवेदन किया है। किन्तु प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा मना करने के उपरान्त अप्रार्थी वादी द्वारा आराजी को बेचान करने की धमकियां दी जा रही है तथा कुछ आराजी का बेचान भी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह उक्त वर्णित किसी तरह से हस्तान्तरित नहीं करे, रहन, दान, बेचान नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से मजाहमत व मदाखलत नहीं करे ना ही करावे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण की और अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का वाके ग्राम जयकिशनपुरा मे होना एवं न्यायालय हाजा के समक्ष उनवानी प्रकरण वास्ते तकास्मा आराजीयात प्रस्तुत होना स्वीकार है। शेष जिस प्रकार लिखा गया है गलत है स्वीकार नहीं है। जिस हिस्से की भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उसकी हद तक प्रार्थी को कोई हक उत्पन्न नहीं है। खाता संख्या 56 व 58 ग्राम जयकिशनपुरा में अंकित आराजीयात में से खातेदार गोविन्दी पुत्री बजरंगा के नाम दर्ज हिस्से की हद तक प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थी संख्या 01/वादी ने पूर्ण प्रतिफल राशि लेकर नेक नियती एवं सद्भावनापूर्वक जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2014 को अप्रार्थी संख्या 01/वादी को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से अप्रार्थी संख्या 01/वादी उक्त खरीदशुदा भूमि का बहैसियत सद्भावी क्रेता खातेदार काश्तकार के रूप मे काबिज चला आ रहा है। खातेदार गोविन्दी, बजरंगा की पुत्री थी, बजरंगा खातेदार था उसके नाम दर्ज भूमि के संबध में बजरंगा के जीवनकाल में तथा उसके मरने के बाद नियमानुसार उसकी पुत्री के नाम विरासत में खातेदारी दर्ज करने के वर्षो तक गोविन्दी खातेदार रही। जिसके विरूद्ध भी कभी कोई क्लेम नही किया, पिता की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री के नाम विरासत की खातेदारी दर्ज करने में कानूनी रूप से कोई भी त्रुटी नहीं है तथा ऐसे अंकन को चुनोती देने का अधिकार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 को किसी प्रकार भी प्राप्त नही है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 ने नाजायज प्लीडिंग लिखवाकर गोविन्दी द्वारा बेची जा चुकी भूमि के बारे में काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया, जो चलने योग्य नहीं है। गोविन्दी द्वारा वादी के पक्ष में व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 05, 06 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रो को प्रतिवादी संख्या 01 ने सक्षम सिविल न्यायालय में चुनोती नही दी है तथा जब तक विक्रय पत्र निरस्त नहीं हो जाते तब तक प्रतिवादी संख्या 01 का प्रस्तुत काउण्टर क्लेम चलने योग्य नही हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक प्रतिवादी को राजस्व न्यायालय में दावा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 उक्त भूमियो मे से 43–19 बीघा भूमि के बारे में 2014 मे ही पृथक से दावा न्यायालय में करवा रखा है। उसमें 53–03 बीघा को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्योंकि यदि वह चाहता तो उसी समय दावा कर सकता था परन्तु उसने जानबूझकर क्लेम सम्मिलित नहीं किया था, बल्कि स्वेच्छा से छोड़

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

था अर्थात वह अपने क्लेम को त्याग कर चुका था। उक्त दावा प्रतिवादी संख्या 01 तुलसा पत्नि बिरधा की
की जमीन को हडपने के लिए नाजायज प्लीडिंग के अनुसार बिना किसी अधिकार के पेश कर रखा है। जो
तुलसा व बिरधा की सेवा तथा देखभाल करने की प्लीडिंग लिखकर इस एवज में जायदाद लेना चाहता है
पगडी का दस्तुर बताकर जमीन लेना चाहता है। जबकि कानून में ऐसा कोई कन्सेप्ट नहीं है। इस दावे में
काउण्टर क्लेम कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है तथा ऑर्डर 2 रूल 2 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत
चलने योग्य नहीं है। काउण्टर क्लेम खारिज करने योग्य है। वादी को अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की
को काबिज रहकर काश्त करने, हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने तथा रहन, दान, बैचान करने का पूर्ण
धानिक अधिकार प्राप्त है। जिसको काउण्टर क्लेम के जरिये रोका नही जा सकता तथा वादी को स्थायी
निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता, काउण्टर क्लेम झूठा हैं तथा चलने योग्य नही है। प्रतिपक्षी संख्या 01
का यह कथन की बजरंगा पुत्र गणेश, रामनाथ के गोद चला गया हैं और इस आधार पर उसका कोई अधिकार
नही रहा हो गोद जाने के किसी भी साक्ष्य का उल्लेख इस प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया हैं तथा ऐसी कोई
तथ्य अस्तित्व में नहीं है। यह एक अनावश्यक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा/काउण्टर प्रार्थना पत्र है। जिसमें
प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का प्रश्न प्रतिपक्षी संख्या 01 के पक्ष में साबित नहीं
है। प्रतिपक्षी संख्या 01 बजरंगा के रामनाथ के गोद जाने की झूठी/मनगढ़न्त कहानी बनायी है। रिकॉर्डेड
खातेदार काबिज काश्तकार को प्रतिपक्षी किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का हकदार नही
है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी संख्या 01 की ओर प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का
प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है तथा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय की अनुमति से प्रार्थी की तरफ से अप्रार्थीगण के जवाब का जवाब उल जवाब पेश किया गया। जवाब उल जवाब के अनुसार गोविन्दी के पिता बजरंगा, रामनाथ के गोद चले गये थे और गोद जाने के उपरान्त बजरंगा ने बतौर दत्तक पुत्र रामनाथ की विरासत प्राप्त की है। जिसकी वजह से हीरा और हीरा के परिवार की संपत्ति को बजरंगा की पुत्री गोविन्दी प्राप्त करने की अधिकारी नही थी किन्तु उसने चालाकी से, धोखे और छल कपट से विवादित आराजीयात मे हीरा के साथ अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। गोविन्दी के नाम किया गया अंकन अवैध था और गोविन्दी ने अपने नाम रिकॉर्ड में गलत अंकन करवाकर प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के लिए भूमि का एक नुमाईशी विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 01 के हक में निष्पादित करवा दिया गलत अंकन के आधार पर कराया गया विक्रय पत्र विधिक नियमो और प्रावधानों के तहत् प्रार्थी के हितो के प्रति प्रभावशून्य है। आराजी पर कभी भी गोविन्दी का कब्जा काश्त नही रहा और न ही गोविन्दी से भूमि खरीदने के पश्चात सोनू अग्रवाल का कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने भी विवादित आराजीयात में से कुछ खसरा नम्बर का बेचान अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को दौराने वाद ही किया है। जो विधिक प्रावधानो के तहत् अवैध है और विवादित संपत्ति में अप्रार्थीगण के किसी तरह के कोई हक अधिकार न थे, न है और न ही बनते है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के पक्ष में कराये गये विक्रय पत्रो को प्रार्थी निरस्त किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का काउण्टर क्लेम न्यायालय हाजा के समक्ष जेरकार है और जब तक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

प्रार्थी के काउण्टर क्लेम को निर्णित नही कर दिया जाता तब तक विवादित संपत्ति का प्रतिवादी बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। तुलसा पत्नि बिरधा प्रार्थी के परिवार के है। उसकी छोडी गई कृषि आराजीयात में बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का कोई हक हिस्सा गोद चले जाने के बाद निहित नहीं रहा था किन्तु जो अंकन गोविन्दी ने अपने पिता बजरंगा की मृत्यु होने पर विवादित संपत्ति मे कराया हैं पूर्णतः अवैध है। गलत अंकन के आधार पर उक्त खातेदारी के आधार पर गोविन्दी को विवादित संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उसके द्वारा कराया गया विक्रय पत्र विधि विरूद्ध है एवं प्रार्थी के हितो के प्रति अवैध एवं निष्प्रभावी है और अवैध विक्रय पत्रों को उद्घोषणा के अनुतोष में शुन्य एवं निष्प्रभावी करने की अधिकारिता माननीय राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। बजरंगा, रामनाथ के गोद चला गया था। जिसका पुख्ता प्रमाण हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकले, हकत्याग की प्रति, स्वयं गोविन्दी के लिखित कथन पत्रावली में प्रस्तुत किये जा रहे है। अतः प्रार्थी का जवाब उल जवाब शामिल पत्रावली किये जाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 07 के रूप मे नियोजित किये गये मुकेश पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण ने प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात कुल किता 26 रकबा 43–19 बीघा वाके ग्राम जयकिशनपुरा को लेकर एक वाद प्रकरण संख्या 105/2018 उनवानी सोनू बनाम हीरा माननीय न्यायालय मे लम्बित हैं। तकास्मे के इस वाद मे प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अपना काउण्टर क्लेम भी पेश किया गया है, जो कि लंबित है। दौराने वाद तथा काउण्टर क्लेम विचाराधीन होने के बावजूद वादी सोनू द्वारा उक्त वाद में अपना प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बदनियतीपूर्वक विड्रो कर लिया है तथा विवादित आराजी में से 251, 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262 में अपने नाम दर्ज 1/2 हिस्से का विक्रय अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के हक में निष्पादित कर दिया, जो पूर्णतः अवैध व शून्य है। दौराने वाद किया गया बैचान नल एण्ड वोईड है। उक्त भूमि वादी सोनू ने गोविन्दी से क्रय की थी। जबकि वादग्रस्त आराजीयात में गोविन्दी की पुत्री बजरंगा का किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही था। क्योंकि गोविन्दी के पिता नाबालिग अवस्था में ही अपने बड़े पिता रामनाथ के गोद चले गये थे। बजरंगा ने रामनाथ की विरासत प्राप्त कर ली थी। जिसकी वजह से उक्त वर्णित आराजीयात से बजरंगा व उसकी पुत्री गोविन्दी का कोई संबंध सरोकार नहीं था। वादी सोनू अपने हक में हुए इन्द्राज के आधार पर शेष बची हुई आराजीयात को भी बेचान करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी/प्रतिवादी को पैसा लेकर कब्जा छोड़ने के लिए कई बार निवेदन किया है। किन्तु प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा मना करने के उपरान्त अप्रार्थी वादी द्वारा आराजी को बेचान करने की धमकियां दी जा रही है तथा कुछ आराजी का बेचान भी किया जा चुका है। वादी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि विवादित आराजीयात के संबंध में घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का एक अन्य दावा प्रकरण 63/2019 उनवानी हीरा बनाम गोविन्दी व अन्य भी विचाराधीन हैं, जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 सोनू भी प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार हैं। ऐसी स्थिती में समान भूमि के संबंध में दो पृथक राजस्व वाद विचाराधीन होने के तथ्य को मध्य नजर रखते हुए प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि

उप खण्ड अधिकारी
टोपल (टोंक)

उक्त वर्णित किसी तरह से हस्तान्तरित नहीं करे, रहन, दान, बेचान नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 ने अपनी बहस में बताया की खाता संख्या 56 व 58 ग्राम जयकिशनपुरा में अंकित आराजीयात में से खातेदार गोविन्दी पुत्री बजरंगा के नाम दर्ज हिस्से की हद तक प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थी संख्या 01/वादी ने पूर्ण प्रतिफल राशि लेकर नेक नियती एवं सद्भावनापूर्वक जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2014 को अप्रार्थी संख्या 01/वादी को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से अप्रार्थी संख्या 01/वादी उक्त खरीदशुदा भूमि का बहैसियत सद्भावी क्रेता खातेदार काश्तकार के रूप मे काबिज चला आ रहा है। खातेदार गोविन्दी, बजरंगा की पुत्री थी, बजरंगा खातेदार का उसके नाम दर्ज भूमि के संबध में बजरंगा के जीवनकाल में तथा उसके मरने के बाद नियमानुसार उसकी पुत्री के नाम विरासत में खातेदारी दर्ज करने के वर्षो तक गोविन्दी खातेदार रही। जिसके विरूद्ध भी कभी कोई क्लेम नही किया, पिता की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री के नाम विरासत की खातेदारी दर्ज करने में कानूनी रूप से कोई त्रुटी नहीं है तथा ऐसे अंकन को चुनोती देने का अधिकार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 को किसी प्रकार भी प्राप्त नही है। वादी द्वारा गोविन्दी से क्रय की गई भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अतःअप्रार्थी अपने दावे अनुसार गोविन्दी से क्रय की गई तथा खातेदारी मे दर्ज भूमि के विभाजन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का काउण्टर क्लेम खारिज करने योग्य है। वादी को अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की भूमि को काबिज रहकर काश्त करने, हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने तथा रहन, दान, बैचान करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। जिसको काउण्टर क्लेम के जरिये रोका नही जा सकता तथा वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने गोविन्दी के पिता बजरगा के रामनाथ के गोद जाने की झूठी/मनगढन्त कहानी बनायी है। रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार को प्रतिपक्षी किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का हकदार नही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 07 ने अपनी बहस में बताया की विवादित आराजीयात में तत्कालीन खातेदार गोविन्दी पुत्री बजरंगा का अवैध रूप से हिस्सा दर्ज था। जिसका विक्रयपत्र बिना कब्जे तथा प्रतिफल के अप्रार्थी संख्या 01 के हक मे करवाया जाना विधिक रूप से शून्य है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादित आराजीयात ख0न0 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261 व 262 ग्राम जयकिशनपुरा में अपने 1/2 त्रुटीपूर्ण क्रयशुद्धा हिस्से का बैचान अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को किया जाना भी अवैध तथा बनावटी विक्रय की श्रेणी मे आता है। बिना कब्जे काश्त के अप्रार्थी संख्या 01/वादी भूमि का तकास्मा करवाने का अधिकारी नहीं है। बजरंगा की पुत्री गोविन्दी का विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः गोविन्दी द्वारा किया गया अवैध बेचान तथा उसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के पक्ष में हुआ बेचान को देखते हुए विवादित भूमि का अन्य दिगर व्यक्तियों के हाथों हस्तान्तरण रोका जाना विवाद के निपटारे के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी वादी सोनू द्वारा एक नियमित राजस्व वाद संख्या 105/2018 उनवानी सोनू बनाम हीरा व अन्य बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पूर्व से ही लंबित है। अप्रार्थी संख्या 01 सोनू द्वारा उक्त दावा भूमि आराजी ख0न0 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 485, 595, 596, 597, 607, 699, 700, 707, 708, 835, 836, 893, 980, 982 कुल किता 29 कुल रकबा 54–03 बीघा व ख0न0 251, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 583, 584, 585, 586, 587, 603, 604, 605, 701, 706, 782, 837, 892, 984, 1026 कुल किता 26 कुल रकबा 43–19 बीघा वाके ग्राम जयकिशनपुरा मे अपने 1/2 हिस्से के तकास्मे बाबत् पेश किया गया है। दौराने वाद अप्रार्थी द्वारा उक्त दावे में अपना प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विड्रो कर ख0न0 251, 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262 में अपने नाम दर्ज 1/2 हिस्से का विक्रय अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के हक मे निष्पादित कर दिया गया। जबकि दावे में खाता संख्या 56 कुल किता 29 रकबा 54–03 बीघा के संबंध में प्रार्थी द्वारा काउण्टर क्लेम भी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा भी अपनी क्रय शुदा भूमि के विभाजन हेतु जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया है। प्रार्थी का तर्क हैं कि दौराने वाद भूमि का बेचान विधि अनुसार अवैध माना जाता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 ने विवादित आराजी में से कुछ भूमि अप्रार्थी संख्या 03 व 04 को विक्रय कर दी। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के पक्ष मे हुए विक्रय पत्रों का नामान्तकरण अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया है। दोनो पक्षो को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.08.2020 द्वारा भी इस न्यायालय में लंबित अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखने एवं विवादग्रस्त आराजीयात का बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है। यद्यपि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी के साथ विवादित आराजीयात में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। किन्तु दौराने वाद विवादित आराजी के विक्रय से वाद की बहुलता तथा विवाद की जटिलता में वृद्धि होती है। अतः विवादित आराजीयात के संबंध में पक्षकारो के मध्य नियमित राजस्व वाद तथा काउण्टर क्लेम विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित मे उभयपक्ष को विवादित आराजीयात ख0न0 253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 485, 595, 596, 597, 607, 699, 700, 707, 708, 835, 836, 893, 980, 982 कुल किता 29 कुल रकबा 54–03 बीघा व ख0न0 251, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 583, 584, 585, 586, 587, 603, 604, 605, 701, 706, 782, 837, 892, 984, 1026 कुल किता 26 कुल रकबा 43–19 बीघा वाके ग्राम जयकिशनपुरा की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखने तथा रहन, दान, दान नही करने हेतु ताफैसला वाद तथा काउण्टर क्लेम जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार कर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(रवि वर्मा)
उप खण्ड अधिकारी पापलू